न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 84 / 2019 **{RCMS 2020/00163}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :– 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3262 / 310 रकबा 1.3632 हैक्टर में से 0.0750 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आर.ओ.प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का कुचामनसिटी ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 24 / 2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3262 / 310 में प्रतिवादी के हक हिस्से की भूमि 0.0750 हैक्टर को राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मुझ वादी को क[illegible] सुपुर्द [illegible]श फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रति[illegible]गण को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, [illegible] ज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादी क[illegible]जे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरूद्ध एक–पक्षीय क[illegible] अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3262 / 310 / 138 भूमि में प्रतिवादी ने 0.0750 हैक्टर बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आर.आ.प्लान्ट लगाकर निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2074–77 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 119
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 106

काश्तकार का नाम:-

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
312	0.0200	बारानी 2	0.0200	0.12		नोट नं. 64 से दिनांक 12/04/2021 खसरा संख्या : 312,	
3679/310	0.0244	बारानी 2	0.0244	0.15		3679/310, 3680/3262 सभी काश्तकार पर माननीय न्यायलय राजस्व	
3680/3262	0.9796	बारानी 2	0.9796	5.88		मण्डल राजस्थान अजमेर क्रमांक	
						/टी.ए./निग/2021/2324/नागौर/08/04/2021व श्रीमान तहसीलदार	
						कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक /भू.अ. /680 दि.09/04/2021	
						अनुसार स्थगन आदेश है। नोट लगा हुआ है|	
						नोट नं. 65 से दिनांक 12/04/2021 खसरा संख्या : 312,	
						3679/310, 3680/3262 सभी काश्तकार पर माननीय न्यायालय RAA	
						नागौर के प्रकरण संख्या 33/2021 अनुसार एवं श्रीमान तहसीलदार	
						भू.अ. कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./698 दिनांक	
						12/04/2021 की पालना में यथास्थिति का स्थगन आदेश है। नोट	
						लगा हुआ है|	
						स्वीकृत नामांतरकरण : 5358 09/04/2021 न्याया. आदेश	
कुल खसरे - 3	1.0240		1.0240	6.1500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रश्नगत भूमि वर्तमान में ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3680 / 3262 रकबा 0.9796 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में प्र[illegible] खातेदारी दर्ज चजी आ रही है उक्त भूमि को कृषि से गै[illegible] को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के उपयोग में लि[illegible] रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भू[illegible] को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा आर.ओ.प्लान्ट लगाकर निर्माण कार्य कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3680/3262 रकबा 0.9796 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में प्रतिवादी की भूमि 0.0750 हैक्टर (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 84/2019 **{RCMS 2019/00163}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू—बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3680/3262 रकबा 0.9796 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में प्रतिवादी की भूमि 0.0750 हैक्टर (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11/10/2021 को जारी की गई।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

दस्तखत.......................
ओहदा.......................(मुहर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:32 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन जो कि डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए